

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज।

पत्रांक:- 932
प्रेषक,

दिनांक:- 22/4/24

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, महाराजगंज।

मेसर्स जगमातो कन्सट्रक्शन
ग्राम- नन्दामुडा, थाना- सिसवन
जिला सिवान।

विषय:- शीर्ष राज्य योजनान्तर्गत निर्मित पथों का पंचवर्षीय अनुरक्षण एवं ATR निराकरण नहीं करने के कारण जमा राशि जब्त करने एवं एकरारनामा विखंडन करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-2152, दिनांक-11.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि अनेकों बार लिखित एवं मौखिक दूरभाष निर्देश के उपरान्त भी आपके द्वारा निम्नलिखित निर्मित पथों का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है एवं पथ में BRRMS के माध्यम से लगे ATR में वर्णित बिन्दुओं का निराकरण में रुची नहीं ली जा रही है, जो कार्य हित के विरुद्ध एवं एस0बी0डी0 / एकरारनामा के शर्तों का उल्लंघन है। पथों की सूची निम्नवत है-

क्रम संख्या	पथ का नाम	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	प्रदत्त ग्रेड	अंतिम मापी की तिथि एवं समय
1.	Korar Jaleshar Singh Ke Ghar to Korar Dohar Sima	28-11-2023	U	30-04-2024
2.	Bablu Singh to Pramra Schall Dhana Dhai	29-11-2023	U	30-04-2024
3.	Dhumal Pandat to Sasha Bajar	23-11-2023	U	30-04-2024
4.	Dhoba Tolla to Ranibari Bajar	29-11-2023	U	30-04-2024

अतः अनुरक्षण कार्य एवं ATR निराकरण नहीं कराने के कारण जमानत की राशि जब्त करने, निबंधन को काली सूची में डालने की अनुशंसा एवं एकरारनामा विखंडन की प्रक्रिया हेतु अंतिम मापी की उपरोक्त तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है, उक्त तिथि को आप या आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि को स्थल पर उपस्थित रहने हेतु निदेश दिया जाता है। आपकी अनुपस्थिति में विभागीय अभियंताओं द्वारा लिया गया मापी अंतिम मापी माना जाएगा एवं इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

विश्वासभाजन

22/04/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महाराजगंज।